

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 653 सन 2021

अनवान :-

1. जीताराम पुत्र खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. आदराम पुत्र मालाराम जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
3. प्रहलाद सिंह पुत्र सुगनाराम जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. मनोहरी पुत्री खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
2. सन्तो उर्फ सन्तोष पुत्री खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
3. चन्द्राराम पुत्र सावित्री उर्फ पतासी पुत्री खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
4. प्रहलाद पुत्र सावित्री उर्फ पतासी पुत्री खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
5. सुभाष पुत्र सावित्री उर्फ पतासी पुत्री खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
6. छोटी पुत्री सावित्री उर्फ पतासी पुत्री खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
7. सिया पुत्री सावित्री उर्फ पतासी पुत्री खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
8. जिन्द्रो पुत्री सावित्री उर्फ पतासी पुत्री खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
9. गुलाबो पत्नी दलीप पुत्री सावित्री उर्फ पतासी पुत्री खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. मुकेश पुत्र दलीप पुत्र सावित्री उर्फ पतासी पुत्री खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. कविता पुत्री दलीप पुत्र सावित्री उर्फ पतासी पुत्री खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. भंवरी पुत्री मालाराम पुत्र खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
13. महेन्द्र पुत्री मालाराम पुत्र खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
14. धर्मा देवी पुत्री मालाराम जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
15. गोमती पुत्री मालाराम पुत्र खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
16. कान्ही पत्नी मालाराम पुत्र खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
17. किस्तुरी पुत्र सुगनाराम पुत्र खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
18. शारदा पुत्री सुगनाराम पुत्र खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
19. खिवणी पत्नी सुगनाराम पुत्र खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
20. मनीराम पुत्र मालाराम पुत्र खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
21. दलीप कुमार पुत्र मालाराम पुत्र खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
22. महावीर प्रसाद पुत्र सुगनाराम पुत्र खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 23.11.2021.

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 70/68 की कुल 26.6090 हैक एवं रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 128/127 की कुल 5.5150 हैक भूमि में वादी संख्या 1, 2 एवं प्रतिवादी संख्या 22 व प्रतिवादी संख्या 12 ता 16 के मृतक पिता व पति मालाराम पुत्र खुमाणाराम है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मालाराम, सुगनाराम, जीताराम, सावित्री उर्फ पतासी, मनोहरी, सन्तो, एवं महावीर प्रहलाद के नाम से दर्ज है जिनमें से मालाराम, सुगनाराम, सावित्री उर्फ पतासी, का देहान्त हो चुका है जिनमें से सावित्री के पुत्र दलीप का भी देहान्त हो चुका है इसप्रकार मालाराम, सुगनाराम, सावित्री उर्फ पतासी एवं उसके पुत्र दलीप के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 2, 3 ता 8, 9 ता 11, 12 ता 16, 17 ता 19 वादी की बहने है एवं मालाराम, सुगनाराम, सावित्री उर्फ पतासी दलीप की पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2, 3 ता 8 ता 11, 12 ता 16, 17 ता 19 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 20 ता 22 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

20 ता 22 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की से मालाराम , सुगनाराम, सावित्री उर्फ पतासी, दलीप के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 20 तास 22 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मालाराम , सुगनाराम, जीताराम, सावित्री उर्फ पतासी, मनोहरी , सन्तो, एवं महावीर प्रहलाद के नाम से दर्ज है जिनमें से मालाराम , सुगनाराम, सावित्री उर्फ पतासी , का देहान्त हो चुका है जिनमें से सावित्री के पुत्र दलीप का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 20 ता 22 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 20 ता 22 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 20 ता 22 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं परोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 70/68 की कुल 26.6090 हैक एवं रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 128/127 की कुल 5.5150 हैक भूमि में वादी संख्या 1, 2 एवं प्रतिवादी संख्या 22 व प्रतिवादी संख्या 12 ता 16 के मृतक पिता व पति मालाराम पुत्र खुमाणाराम है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मालाराम , सुगनाराम, जीताराम, सावित्री उर्फ पतासी, मनोहरी , सन्तो, एवं महावीर प्रहलाद के नाम से दर्ज है जिनमें से मालाराम , सुगनाराम, सावित्री उर्फ पतासी , का देहान्त हो चुका है जिनमें से सावित्री के पुत्र दलीप का भी देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 है जो वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 20 ता 22 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का

अपेक्षित ऐतराज नहीं है।


वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण

उपखण्ड अधिकारी
बोहर

काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 70/68 की कुल 26.6090हैक् मे से मृतक सुगनाराम मालाराम, सावित्री व प्रतिवादी संख्या 1,2 का नाम कलमजन किया जाकर 1/5 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 के व 2/5 हिस्सा भूमि वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 20,21 के बहिब एवं 2/5 हिस्सा वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 22 बहिब के एवं रोही मोजा राणीसर के खाता संख्या 127/127 की कुल 5.5150हैक् मेसे मृतक मालाराम के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा यानी 1.8383हैक् में मालाराम का नाम कलमजन कर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 20,21 तीनों बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मोजा राणीसर के खाता संख्या 128/127 में वादी संख्या 3 का नाम प्रहलाद की जगह प्रहलादसिह किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2021. को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकासे (राजस्व)
हपखण्ड अधिकार
नीहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट... मन्दरपुरा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. जीताराम पुत्र खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. आदराम पुत्र मालाराम जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
3. प्रहलाद सिंह पुत्र सुगनाराम जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. मनोहरी पुत्री खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
2. सन्तो उर्फ सन्तोष पुत्री खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर ।
3. चन्द्राराम पुत्र सावित्री उर्फ पतासी पुत्री खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
4. प्रहलाद पुत्र सावित्री उर्फ पतासी पुत्री खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
5. सुभाष पुत्र सावित्री उर्फ पतासी पुत्री खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
6. छोटी पुत्री सावित्री उर्फ पतासी पुत्री खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
7. सिया पुत्री सावित्री उर्फ पतासी पुत्री खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
8. जिन्द्रो पुत्री सावित्री उर्फ पतासी पुत्री खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
9. गुलाबो पत्नी दलीप पुत्री सावित्री उर्फ पतासी पुत्री खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
10. मुकेश पुत्र दलीप पुत्र सावित्री उर्फ पतासी पुत्री खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
11. कविता पुत्री दलीप पुत्र सावित्री उर्फ पतासी पुत्री खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
12. भंवरी पुत्री मालाराम पुत्र खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर ।
13. महेन्द्र पुत्री मालाराम पुत्र खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
14. धर्मा देवी पुत्री मालाराम जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
15. गोमती पुत्री मालाराम पुत्र खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
16. कान्ही पत्नी मालाराम पुत्र खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
17. किस्तुरी पुत्र सुगनाराम पुत्र खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
18. शारदा पुत्री सुगनाराम पुत्र खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
19. खिवणी पत्नी सुगनाराम पुत्र खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
20. मनीराम पुत्र मालाराम पुत्र खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
21. दलीप कुमार पुत्र मालाराम पुत्र खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
22. महावीर प्रसाद पुत्र सुगनाराम पुत्र खमाणा जाति मेधवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 653 सन 2021 निर्णय दिनांक- 23.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव क संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 70/68 की कुल 26.6090 हैक में से मृतक सुगनाराम मालाराम, सावित्री व प्रतिवादी संख्या 1,2 का नाम कलमजन किया जाकर 1/5 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 के व 2/5 हिस्सा भूमि वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 20,21 के बहिब एवं 2/5 हिस्सा वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 22 बहिब के एवं रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 127/127 की कुल 5.5150 हैक मेसे मृतक मालाराम के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा यानी 1.8383 हैक में मालाराम का नाम कलमजन कर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 20,21 तीनों बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 128/127 में वादी संख्या 3 का नाम प्रहलाद की जगह प्रहलादसिंह किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट...मन्दरपुरा